प्रेस विज्ञप्ति

भारत के नियंत्रक एवं महालेखापरीक्षक

नई दिल्ली

12th अगस्त 2026

सीपीएसई पर अनुपालन लेखा परीक्षा (वाणिज्यिक) रिपोर्ट संसद में प्रस्तुत

भारत के नियंत्रक एवं महालेखापरीक्षक (सीएजी) की अनुपालन लेखापरीक्षा टिप्पणियों पर वर्ष 2026 की रिपोर्ट संख्या 22 आज संसद में प्रस्तुत की गई।

2. प्रतिवेदन में 8 मंत्रालयों/विभागों के अंतर्गत 15 केन्द्रीय सार्वजनिक क्षेत्र उद्यमों (सीपीएसई) से संबंधित 10 व्यक्तिगत लेखापरीक्षा अभ्युक्तियां और 5 अनुपालन लेखापरीक्षा पैराग्राफ शामिल हैं। व्यक्तिगत लेखापरीक्षा अभ्युक्तियों का कुल वित्तीय निहितार्थ ₹20,539.40 करोड़ है।

3. प्रतिवेदन में शामिल पैराग्राफों के मुख्य अंश नीचे दिए गए हैं:

साउथ ईस्टर्न कोलफील्ड्स लिमिटेड के 2018–19 से 2023–24 तक के लेखापरीक्षा में प्लानिंग, टारगेट तय करने, कॉन्ट्रैक्ट मैनेजमेंट और ऑपरेशनल मॉनिटरिंग में कमियां पाई गईं। कंपनी के प्रोडक्शन टारगेट माइनिंग क्षमता के हिसाब से नहीं थे। कॉन्ट्रैक्ट मैनेजमेंट से जुड़ी समस्याओं और ज़रूरत के साइज़ का कोयला सप्लाई न कर पाने के कारण कंपनी को नुकसान उठाना पड़ा। साथ ही, फ्लाई ऐश डंपिंग चार्ज तय करने में देरी के कारण कंपनी को ऐसा खर्च भी करना पड़ा जिसे टाला जा सकता था।

(पैरा 1.3)

1 अप्रैल 2020 तक पारादीप रिफाइनरी में 100 प्रतिशत बी एस -VI मानकों वाले मोटर स्पिरिट के उत्पादन के लिए ज़रूरी इंफ्रास्ट्रक्चर की पहचान और उसके बारे में पूरी तरह से एनालिसिस न करने के कारण ₹32.02 करोड़ का बेकार खर्च हुआ। रिफाइनरी के कामकाज के स्थिर होने से पहले, इंफ्रास्ट्रक्चर की ज़रूरतों का अनुमान खुद रिफाइनरी के डेटा के बजाय इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन लिमिटेड की दूसरी रिफाइनरियों के ऑपरेशनल डेटा के आधार पर लगाया गया था। इस बात पर ध्यान नहीं दिया गया कि रिफाइनरी का कामकाज स्थिर होने के बाद मैनेजमेंट का एनालिसिस पूरी तरह से बदल सकता है। साथ ही, नए इंफ्रास्ट्रक्चर की ज़रूरतों का प्रस्ताव रखने से पहले मैनेजमेंट ने रिफाइनरी में मौजूद इंफ्रास्ट्रक्चर के डिज़ाइन बेस पर भी ध्यान नहीं दिया।

(पैरा 2.1)

ऑइल इंडिया लिमिटेड ने अपने पार्टनर के साथ मिलकर 2006 में नाइजीरिया के ओ पी एल 205 में हिस्सेदारी खरीदी थी, लेकिन इस निवेश से बहुत कम आउटपुट मिला; 2017 तक कोई प्रोडक्शन नहीं हुआ और 2021 तक सिर्फ़ 0.57 मिलियन बैरल का प्रोडक्शन हुआ। यह अधिग्रहण/निवेश बिना ठीक से जांच-पड़ताल किए किया गया था और इसमें बिना ऑडिट किए गए, अधूरे और पुराने डेटा पर भरोसा किया गया, जबकि फाइनेंशियल, कानूनी और टेक्निकल सलाहकारों ने कुछ कमियों की ओर इशारा भी किया था। बोर्ड के सामने रिज़र्व के गलत अनुमान भी पेश किए गए थे। ठीक से जांच-पड़ताल न करने की वजह से ₹353.43 करोड़ का निवेश बेकार चला गया।

(पैरा 2.2)

एएसआरईसी (इंडिया) लिमिटेड के मुख्य ऑपरेशनल कामों, यानी एनपीए लोन अकाउंट्स को खरीदने और उनके समाधान की प्रक्रिया का 2020–21 से 2022–23 के दौरान ऑडिट किया गया। ऑडिट में इसकी वैल्यूएशन और समाधान प्रक्रियाओं में बड़ी कमियां पाई गईं। एएसआरईसी ने बिना किसी स्वतंत्र जांच के, बेचने वाले बैंकों द्वारा बताई गई वैल्यूएशन पर भरोसा किया; बिना किसी लिखित आधार के मनमाने वैल्यूएशन पैरामीटर अपनाए; और कुछ SR-आधारित खरीद मामलों में, संबंधित सिक्योरिटीज़ की वसूली योग्य कीमत से ज़्यादा भुगतान किया, जिससे ओवरवैल्यूएशन का जोखिम पैदा हुआ। इसने ज़्यादा कीमत वाले अकाउंट्स के लिए समाधान योजनाओं को तैयार करने और मंज़ूरी देने में भी देरी की; अकाउंट-खास बातों पर विचार किए बिना समाधान के लिए एक समान पांच साल की अवधि अपनाई; और सक्षम अधिकारी को भेजे बिना ही 'वन टाइम सेटलमेंट' प्रस्तावों को खारिज कर दिया। ये सब कमज़ोर इंटरनल कंट्रोल, अपर्याप्त निगरानी और निर्णय लेने की प्रक्रिया में पारदर्शिता की कमी को दर्शाते हैं।

(पैरा 4.1)

चार जनरल इंश्योरेंस कंपनियों के री-इंश्योरेंस ऑपरेशन्स (2018–24) के ऑडिट से पता चला कि नियमों का पालन ठीक से नहीं किया गया, इंटरनल कंट्रोल कमजोर थे और रिस्क मैनेजमेंट में कमियां थीं। आईआरडीएआई के री-इंश्योरेंस नियमों का उल्लंघन—जैसे गलत रिटेंशन प्रैक्टिस, फ्रंटिंग अरेंजमेंट और अयोग्य री-इंश्योरर्स के साथ लेन-देन—के कारण रिस्क का दायरा बढ़ गया और ₹254.98 करोड़ का नुकसान हुआ। ऑडिट में आई.टी. सिस्टम की कमियां, गलत प्रीमियम सेशंस, ₹5.31 करोड़ से जुड़े ट्रीटी अनुपालन के मुद्दे और री-इंश्योरेंस रिसीवेबल्स के खराब मैनेजमेंट (देरी से सबमिशन, अपर्याप्त निगरानी और बेमेल बैलेंस के कारण) का भी पता चला।

(पैरा 4.2)

एंड्रयू यूल एंड कंपनी लिमिटेड के चाय डिवीज़न, जो कंपनी की कुल कमाई में 50 प्रतिशत से ज़्यादा का योगदान देता है, को 2022-23 से 2024-25 के दौरान खराब रणनीतिक योजना और कामकाज से जुड़ी समस्याओं के कारण उत्पादकता और वित्तीय प्रदर्शन में गिरावट का सामना करना पड़ा। दोबारा पौधे न लगाने और सिंचाई की सुविधाओं में सुधार न होने से कंपनी की चाय की पैदावार में कमी

आई; साथ ही, बाहरी उत्पादकों से कम खरीद के कारण इसकी फैक्ट्री की क्षमता का पूरा इस्तेमाल नहीं हो पाया।

(पैरा 5.1)

सेल की रोलिंग मिलों के 2018-19 से 2023-24 तक के ऑडिट में पाया गया कि ऑपरेशनल, मैकेनिकल और इनपुट सप्लाई से जुड़ी दिक्कतों ने तैयार स्टील उत्पादों के प्रोडक्शन पर काफी असर डाला। सालाना बिज़नेस प्लान के मुकाबले प्रोडक्शन का नतीजा काफी अलग-अलग रहा, जो 58.10% से 111.99 प्रतिशत के बीच था। खास तौर पर, यूनिवर्सल रेल मिल में रेल का कम प्रोडक्शन होने से 2019-20 और 2023-24 के बीच ₹1,461.30 करोड़ का संभावित नुकसान हुआ और सेल भारतीय रेलवे की मांग को पूरा करने में पिछड़ गई। आधुनिकीकरण प्रोजेक्ट्स में देरी ने भी ऑपरेशनल क्षमता को सीमित कर दिया। इसके अलावा, रोल के समय से पहले खराब होने, तय बिजली और गर्मी की खपत के नियमों से ज़्यादा खपत होने और फायर सेफ्टी सिस्टम में कमियों के कारण सेल को ₹137.23 करोड़ का नुकसान उठाना पड़ा।

(पैरा 6.1**)**

भिलाई स्टील प्लांट में सेल के एस एम एस -III प्रोजेक्ट के ऑडिट में काफी देरी और इसे लागू करने में कमियां पाई गईं। 2007 में मंज़ूर हुए और 2011 में पूरा होने वाले इस प्रोजेक्ट का काम मार्च 2018 में शुरू हो पाया, जिससे हर साल चार मिलियन टन कच्चे स्टील के उत्पादन का संभावित नुकसान हुआ। कॉन्ट्रैक्ट को अंतिम रूप देने, साइट सौंपने, सिविल कार्यों और संबंधित सुविधाओं में देरी के कारण बेवजह अतिरिक्त लागत आई, जिसमें सुपरविज़न चार्ज, इंश्योरेंस का पैसा वापस मिलना, खराब सामान बदलना और सामान की चोरी शामिल है। ऑडिट में सुरक्षा से जुड़ी कमियां भी सामने आईं, जैसे कि आग से सुरक्षा वाले सिस्टम लगाने में देरी और सुरक्षा नियमों का पालन न करना, जो प्रोजेक्ट की प्लानिंग और उसे लागू करने में कमियों को दिखाते हैं।

(पैरा **6.2)**

सेल की टू-टियर डिस्ट्रीब्यूटर स्कीम **(**2019-20 से 2023-24**)** के ऑडिट में पाया गया कि स्कीम शुरू होने के सात साल बाद भी इसे पूरी तरह से लागू नहीं किया गया था। पर्याप्त स्टॉक होने के बावजूद**,** रिटेल बिक्री लगातार सालाना बिज़नेस प्लान के लक्ष्यों से कम रही**;** बिक्री लक्ष्य (एक मिलियन टन) से नीचे रही और लक्ष्य का केवल 55 प्रतिशत से 95 प्रतिशत ही हासिल हो पाया। सीमित क्लस्टर कवरेज (71 में से केवल 48 क्लस्टर्स में सेवा) और कुछ ही डीलरों के बीच बिक्री का केंद्रित होना**,** बाज़ार के विस्तार में बाधा बना। डिस्ट्रीब्यूटर और डीलरों के मामले में कमज़ोर कॉन्ट्रैक्ट मैनेजमेंट**,** मॉनिटरिंग और देखरेख ने सेल की रिटेल ग्रोथ**,** मार्केट शेयर और बिक्री से होने वाली कमाई को प्रभावित किया।

(पैरा 6.3**)**

सेल बोर्ड के पहले से ज़मीन की मंज़ूरी लेने के निर्देश (नवंबर 2020) के बावजूद, दुर्गापुर स्टील प्लांट ने एक अधूरा प्रस्ताव (सितंबर 2021) जमा किया, जिससे वह नामंज़ूर हो गया और उसमें देरी हुई; इसके बाद ज़मीन की वैल्यूएशन की समय-सीमा खत्म होने की वजह से 10 महीने की और देरी हुई। हालाँकि 2021 से ही प्राइस बिड उपलब्ध थीं, लेकिन कॉन्ट्रैक्ट अगस्त 2023 में ही दिया गया, जिससे अक्टूबर 2028 तक महँगी व्यवस्था को जारी रखना पड़ा। इसके परिणामस्वरूप 1250 टी पी डी ऑक्सीजन प्लांट को चालू करने में दो साल की देरी हुई और मौजूदा महँगे 'बिल्ड-ओन-ऑपरेट' एग्रीमेंट को पाँच साल के लिए बढ़ाना पड़ा, जिससे ₹172.33 करोड़ का ऐसा वित्तीय बोझ पड़ा जिसे टाला जा सकता था।

(पैरा 6.4**)**

आईटीडीसी के एस्टेट मैनेजमेंट के ऑडिट से पता चला कि प्रॉपर्टी के डॉक्यूमेंटेशन में कमी, एसेट प्लानिंग में कमजोरी और एसेट्स का सही इस्तेमाल न होने की वजह से कानूनी दिक्कतें, देनदारियां और रेवेन्यू का नुकसान हुआ। आईटीडीसी को ग्राउंड रेंट और लीज की शर्तों के उल्लंघन से जुड़े ₹94.07 करोड़ के बकाये का सामना करना पड़ा, जबकि कई प्रॉपर्टीज़ फैसले में देरी, फिजिबिलिटी स्टडी की कमी और खराब प्लानिंग की वजह से सालों तक इस्तेमाल नहीं हो पाईं। बेकार पड़ी प्रॉपर्टीज़ - जिनमें होटल कलिंगा अशोक, ग्वालियर की ज़मीन, कोसी कलां प्रॉपर्टी, आनंदपुर साहिब प्रोजेक्ट और होटल नीलाचल अशोक शामिल हैं- की वजह से संभावित रेवेन्यू का नुकसान हुआ और कीमती प्रॉपर्टीज़ खराब हुईं।

(पैरा 7.1**)**

नेशनल हाईवे फीस (दरें तय करने और वसूली) नियम, 2008 के अनुसार, सरकारी फंड से बने प्रोजेक्ट के मामले में हाईवे के किसी हिस्से का काम पूरा होने के 45 दिनों के भीतर यूज़र फीस की वसूली शुरू हो जानी चाहिए थी। हालांकि, प्रक्रिया में देरी और नेशनल हाईवे के हिस्सों की खराब हालत के कारण पेराली टोल प्लाज़ा पर यूज़र फीस की वसूली नहीं हो पाई और तमिलनाडु में कीज़कुप्पम टोल प्लाज़ा और यू. पोन्नालगराम टोल प्लाज़ा पर यूज़र फीस की वसूली में देरी हुई। नतीजतन, एन एच ए ई ₹68.72 करोड़ का टोल रेवेन्यू नहीं कमा सका।

(पैरा 8.1)